न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—37 / 19 (2019 / 00071) वादपत्र

अनवान

1. मनोहरलाल पिता नाथुलाल जैन (चोरड़िया) नि0 सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नाथुलाल पिता भुरालाल जैन निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 18.03.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 282 रकबा में अकिंत आराजी संख्या 310 रकबा 0.56 है0, आराजी सख्ंया 311 रकबा 0.82 है0, आराजी सख्ंया 312 रकबा 0.18 है0, आराजी सख्ंया 314 रकबा 0.90 है0, आराजी सख्ंया 315 रकबा 0.68 है0, आराजी सख्ंया 316 रकबा 0.04 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.18 है0 भूमि में वादी का 1 / 2 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स बोड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 13.07.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिकी एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिकी की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 282 की प्रस्तावित आराजी संख्या 314 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 315 रकबा 0.68 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 भूमि मनोहरलाल पिता नाथुलाल जैन चोरड़िया (महाजन) सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 310 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.82 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि नाथुलाल पिता भूरालाल महाजन (रांका) सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 316 रकबा 0.04 है0, भूमि [illegible] जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अप[illegible]हन [illegible]ें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल [illegible])
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37/19 (2019/00071) वादपत्र

अनवान

1. मनोहरलाल पिता नाथुलाल जैन (चोरड़िया) नि0 सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नाथुलाल पिता भुरालाल जैन निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 282 की प्रस्तावित आराजी संख्या 314 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 315 रकबा 0.68 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 भूमि मनोहरलाल पिता नाथुलाल जैन चोरड़िया (महाजन) सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 310 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.82 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 है0 भूमि नाथुलाल पिता भूरालाल महाजन (रांका) सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 316 रकबा 0.04 है0, भूमि शामलाती बदस्तुर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 16.07.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

16.7.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:58:25 IST
Reason: SelfAttested